

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018

प्रति,


क्षेत्रीय संचालक,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
उज्जैन संभाग उज्जैन, म0प्र0

विषय :- डॉ0 डी.के. देव, तत्कालीन परिवार कल्याण अधिकारी(सेवानिवृत्त) जिला देवास के अवकाश प्रकरण का निराकरण करने के संबंध में।

000-000

विषयान्तर्गत लेख है कि सेवानिवृत्त डॉ0 डी.के. देव, तत्कालीन परिवार कल्याण अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास दिनांक 30.09.2016 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में लेख किया गया है कि वह दिनांक 28.10.2013 से 09.07.2014 तक हृदय रोग बीमारी के कारण अवकाश लिया गया/अनुपस्थित रहें।

अतः डॉ0 देव के विरुद्ध जारी कारण बताओ सूचना प्रकरण विचारोपरांत समाप्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि का अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर सूचित करे।



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2017 / 94

भोपाल, दिनांक 18 / 1 / 2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला देवास, म0प्र0
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, देवास, म0प्र
04. कोषालय अधिकारी, जिला देवास, म.प्र.
05. डॉ0 डी.के. देव, तत्कालीन परिवार कल्याण अधिकारी(सेवानिवृत्त) जिला देवास की ओर पालनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।



अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2018/49-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

:: आदेश ::

मान.राज्य मंत्रीजी, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदन उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्र.2/अवि./सेल-टी.पी./अति./2017/536-B भोपाल,दिनांक 10.07.2017 के सरल क्रमांक 05 पर अंकित श्री विनोद कुमार मिश्रा, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 जिला चिकित्सालय अनूपपुर का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सीधी के अधीन किया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्री विनोद मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 10356/2017 दायर की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2017 को निर्णय पारित कर संबंधित को स्वयं के चिकित्सकीय दस्तावेज सहित 07 दिवस में अभ्यावेदन संचालनालय में प्रस्तुत करने एवं संचालनालय को संबंधित का अभ्यावेदन स्वीकार कर नियमानुसार निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री विनोद कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत जांच प्रचलित नहीं होने एवं स्वयं को पैरालिसिस बीमारी से ग्रसीत होना पत्नी 20 वर्षों से बीमार होने तथा पारिवारिक परेशानियों के कारण अभ्यावेदन एवं चिकित्सा अभिलेखों के आधार पर अनूपपुर से जिला सीधी किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

श्री विनोद मिश्रा द्वारा स्थानांतरण निरस्त किये जाने हेतु स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाया है, इस संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, अनूपपुर से श्री विनोद मिश्रा के स्वास्थ्य की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई, प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मिश्रा को संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 28.07.2017 को मेडिकल **Fit.** करने के पश्चात् श्री मिश्रा दिनांक 29.07.2017 से जिला चिकित्सालय अनूपपुर में निरंतर कार्य कर रहे हैं, तथा श्री मिश्रा को पैरालिसिस बीमारी नहीं होकर स्वस्थ है।

श्री विनोद मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं, स्थानांतरण नीति एवं प्रकरण में माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरांत उपरोक्त के अनुक्रम में श्री विनोद मिश्रा, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(विवेक श्रोत्रिय)<sup>K11</sup>

अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश


निरंतर.....2/

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/SO-H

भोपाल, दिनांक 16.01.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश में उल्लेखित न्यायालय प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सीधी/अनूपपुर मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, अनूपपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, फार्मा ग्रेड-2 को तत्काल स्थानांतरण स्थल हेतु कार्यमुक्त करें।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- सीधी/अनूपपुर मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. शाखा स्थानीय कार्यालय।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ति।

  
अपर संचालक (प्रशासन)  
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

3


// आदेश //

श्रीमति सलमा खान, लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शहडोल को पत्र क्रमांक 1400 दिनांक 04.09.2017 के द्वारा इस आशय का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा जिला चिकित्सालय शहडोल का लेखा परीक्षा अवधि 08/13 से 05/15 की प्रारूप कंडिका के परिशिष्ट अ एवं ब में उल्लेखित अनुसार कुल 167 गैस सिलेंडर जिनका वास्तविक क्रय मूल्य राशि रूपये 162217/- था, उक्त गैस सिलेंडरों के गैस एजेन्सी से प्राप्त कैश मेमो में कुल 320 सिलेंडर एवं राशि 321410/- अंकित करके आहरण हेतु प्राप्त होने पर समस्त कैश मेमो का जानबूझकर एवं षडयंत्रपूर्वक बिना सूक्ष्म परीक्षण किये राशि का आहरण करने हेतु वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत किये गये एवं गैस सिलेंडरों के वास्तविक मूल्य से राशि रूपये 159193/- का अधिक भुगतान करवाया गया ।

श्रीमति सलमा खान, लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शहडोल द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 22.09.17 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया । जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उन्होंने गैस सिलेंडर के कैश मेमो की कमियों एवं बिल के आहरण हेतु दवाब डालने का उल्लेख करते हुए पूर्व में नोटशीट लिखीं जो सिविल सर्जन को अंकित है की प्रति प्रस्तुत कर लिखा है कि उनके द्वारा नोटशीट को तत्कालीन अधिकारी द्वारा महत्व दिया जाता तो श्री पाठक की अनियमितता पर समय रहते पूर्णविराम लगाया जाकर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाती । नोडल अधिकारी द्वारा गैस सिलेंडर के देयक सत्यापित एवं प्रति हस्ताक्षर उपरांत भुगतान हेतु प्राप्त देयकों का मेरे द्वारा भुगतान कर दिया जाता था ।

श्रीमति सलमा खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं उपलब्ध अभिलेखों पर समग्र रूप से विचार किया गया । विचारोंपरांत श्रीमति सलमा खान, लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शहडोल का प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 04.09.2017 को एतद् आदेश द्वारा समाप्त किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित



(डॉ. जे. पी. खरे)


उप संचालक (शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र.।
4. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय शहडोल म.प्र. ।
9. श्रीमति सलमा खान, लेखापाल, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ द्वारा:- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय शहडोल म.प्र.।
10. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. आदेश नस्ति

  
उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल-1/शहडोल/2017/ 97

भोपाल दिनांक 12-11-18

//आदेश//

डॉ. जी. एस. परिहार, दंत चिकित्सक तत्कालीन आर.एम.ओ. जिला चिकित्सालय शहडोल को पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 04.09.2017 के द्वारा इस आशय का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा जिला चिकित्सालय शहडोल का लेखा परीक्षा अवधि 08/13 से 05/15 की प्रारूप कंडिका के परिशिष्ट अ एवं ब में उल्लेखित अनुसार कुल 167 गैस सिलेंडर जिनका वास्तविक क्रय मूल्य राशि रुपये 162217/- था, उक्त गैस सिलेंडरों के गैस एजेन्सी से प्राप्त विभिन्न कैश मेमो में कांट छांट कर 167 के स्थान पर कुल 320 सिलेंडर एवं राशि 321410/- अंकित करके भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर समस्त कैश मेमो पर सत्यापन, किचन स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि एवं सही मात्रा में प्राप्त अंकित करके हस्ताक्षर उपरांत अग्रेषित कर श्री एस.एन. पाठक को राशि 159193/- का अधिक भुगतान कराया गया ।

डॉ. जी. एस. परिहार, दंत चिकित्सक जिला चिकित्सालय शहडोल द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 19.09.2017 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उन्हें जिला चिकित्सालय शहडोल में डाईट का प्रभार सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शहडोल के आदेश दिनांक 02.01.14 के द्वारा दिया गया था एवं आदेश दिनांक 16.01.14 के द्वारा डाईट का प्रभार उनके स्थान पर डॉ. व्ही. पी. पटेल को दिया गया । सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शहडोल के द्वारा दिनांक 15.09.2017 को प्रमाणपत्र दिया गया है कि डॉ. जी.एस. परिहार दिनांक 19.10.2009 से आर.एम.ओ. के दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं । इनके द्वारा गैस सिलेंडरों के आडिट आक्षेप वाली अवधि 8/13 से 5/15 के देयकों का सत्यापन नहीं किया गया है ।

अतः उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र, डॉ. जी. एस. परिहार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं उपलब्ध अभिलेखों पर समग्र विचारोंपरांत उत्तर संतोषप्रद पाया गया । डॉ. जी. एस. परिहार, दंत चिकित्सक जिला चिकित्सालय शहडोल के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आशय से जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 04.09.2017 को समाप्त किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित




(डॉ.जे.पी. खरे)

उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र.।
4. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय शहडोल म.प्र.।
9. डॉ. जी. एस. परिहार, दंत चिकित्सक तत्कालीन आर.एम.ओ. जिला चिकित्सालय शहडोल की ओर सूचनार्थ द्वारा:- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
10. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
11. आदेश नस्ति

  
उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-1/शहडोल/2018/95

भोपाल दिनांक 12-1-18


//आदेश//

डॉ. आर. के. सिंह, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शहडोल वर्तमान में सेवानिवृत्त को ज्ञापन कमांक 1396 दिनांक 04.09.2017 के द्वारा इस आशय का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कि महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा जिला चिकित्सालय शहडोल का लेखा परीक्षा अवधि 08/13 से 05/15 की प्रारूप कंडिका के परिशिष्ट अ एवं ब में उल्लेखित अनुसार कुल 167 गैस सिलेंडर जिनका वास्तविक कय मूल्य राशि रूपये 162217/- था, उक्त गैस सिलेंडरों के गैस एजेन्सी से प्राप्त कैश मेमो में कुल 320 सिलेंडर एवं राशि 321410/- अंकित करके आहरण एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर कैश मेमो में कांट्रॉट/उपरी लेखन को नजर अदाज कर एवं बिना सूक्ष्म जांच किये समस्त प्रमाणकों पर हस्ताक्षर कर राशि का आहरण किया गया ।

डॉ. आर. के. सिंह, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शहडोल द्वारा प्रतिवाद उत्तर दिनांक 19.09.2017 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उन्होंने गैस सिलेंडर के बिल में कोई कूटरचना नहीं की है । फर्जी तरीके से आहरित राशि संज्ञान में आने के पश्चात श्री पाठक, स्टीवर्ड द्वारा फर्जी आहरण स्वीकार करते हुए दिनांक 09.09.2016 को राशि कोषालय चालान द्वारा बैंक में जमा कराई गई तथा देयकों के आहरण में मेरा एवं अन्य किसी का कोई दोष नहीं है ।

अतः उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र, डॉ. आर.के. सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं उपलब्ध अभिलेखों पर समग्र रूप से विचार किया गया । डॉ. सिंह दिनांक 31.07.17 को सेवानिवृत्त हो गये हैं । अतः सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए डॉ. आर.के. सिंह तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शहडोल वर्तमान सेवानिवृत्त के विरुद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 04.09.2017 को एतद् आदेश द्वारा समाप्त किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

  
(डॉ.जे.पी. खरे)  
उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल-1/शहडोल/2017/

भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म. प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र.।
4. अपर संचालक (वित्त), स्थानीय कार्यालय ।
5. उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय शहडोल म.प्र. ।
9. डॉ. आर.के. सिंह सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शहडोल की ओर सूचनार्थ द्वारा- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
10. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. आदेश नस्ति

उप संचालक (शिकायत)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /


भोपाल, दिनांक. / / 2018

// आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 33732 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा डॉ० एन.के. त्रिवेदी, जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला उज्जैन का दिनांक 06.10.2016 से 25.10.2017 तक कुल 385 दिनों का अवकाश खाते अनुसार 218 दिवस का अर्जित अवकाश एवं 504 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत डॉ० एन.के. त्रिवेदी, जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला उज्जैन का दिनांक 06.10.2016 से 25.10.2017 तक कुल 385 दिनों का नियमन कर 218 दिवस का अर्जित अवकाश एवं शेष अर्द्धवैतन अवकाश 167 दिन (अर्द्धवैतन अवकाश खाते से 334 दिन) स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2017 / 24

भोपाल, दिनांक 8 / 1 / 2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन, म.प्र.।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन की ओर पत्र क्रमांक 33732 दिनांक 20.12.2017 के संदर्भ में लेख है कि उक्त स्वीकृत अवकाश की पृविष्टि सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करे।
04. कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन, म.प्र.।
05. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

  
अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

12 JAN 2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/4/शिका/सेल.5/हरदा/विविध/2017/37

भोपाल, दिनांक 04-1-18

:: आदेश ::

श्री आर.एस.मेहतो, सेवानिवृत्त एन.एम.एस., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टिमरनी जिला हरदा द्वारा दिनांक 01.10.2014 से 17.2.2015 तक बिना विभाग की अनुमति के विदेश यात्रा (USA) की गई थी।

श्री आर.एस.मेहतो, सेवानिवृत्त एन.एम.एस. के पद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टिमरनी जिला हरदा से दिनांक 31.8.2015 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा इनके पेंशन प्रकरण का निराकरण किया जाना है। श्री मेहतो की सेवानिवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया।

अतः विचारोपरांत श्री आर.एस.मेहतो, सेवानिवृत्त, एन.एम.एस., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टिमरनी जिला हरदा द्वारा बिना विभाग की अनुमति के की गई विदेश यात्रा दिनांक 01.10.2014 से 17.2.2015 तक कुल 140 दिवस की अवधि को डायजनान घोषित करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित.



(डॉ.जे.पी.खरे)

उप संचालक(शिका)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 04-1-18

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.5/हरदा/विविध/2017/38

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर हरदा/होंशगाबाद म.प्र.।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा/होंशगाबाद म.प्र.।
6. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल संभाग म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, हरदा म.प्र.।
8. श्री आर.एस.मेहतो, सेवानिवृत्त, एन.एम.एस.मु0पो0ढावाखुर्द तहसील डोलरिया जिला होंशगाबाद म.प्र.।
9. प्रभारी, एम.आई.एस सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु प्रेषित।
10. आदेश नस्ती।



उप संचालक(शिकायत)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश.